ISSN 2278-8808
UGC APPROVED SR. NO. 45269
SJIF 2016 = 6.177
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL
FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES

सामाजिक समावेशकता — भारतीय पदिप्रेक्ष्यमें

उषा परदेशी

एच.जी.एम.आज़म कॉलेज, ऑफ एज्युकेशन

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

भारतीय समाज 'अनेकता में एकता' का अनुछा उदाहरण हैं । यहॉ धर्म, भाषा, जाति, वंश, आदि मे विविधता दिखाई देती हैं । स्वतंत्रता के बाद सभी के लिए समान अधिकार एवं सभी के विकास को ध्यान में रखकर संविधान की रचना की गई । सामाजिक एवं आर्थिक विषमता दूर करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए, अनेक योजनाऍ बनाई गई । भारतीय समाज में वंचित घटक जिन्हे सदियों से सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया था उन्ही घटकों के सामाजिक समावेशन के प्रयत्न किए गए ताकि वे समाज के मुख्यधारा में आ सके वे भी सक्रिय हो सके, अपने विकास के साथ — साथ देश के विकास में, सामाजिक पुनरूत्थान में उनका योगदान भी रहें अत: इन घटकों के विकास के लिए सरकार व्दारा कौन — कौनसी योजनाऍ की गई इस बात पर प्रस्तुत आलेख में विचार किया गया है। समाज के वंचित घटक यानि एस.सी., एस.टी.,एन.टी. , ओ.बी.सी. महिलाऍ तथा बालकों के विकास के साथ— साथ विकलांग एंव वृद्धों की सुरक्षा हेतु कौंन— कौनसे सांविधानिक प्रावधान है। तथा कौन कौनसी योजनाऍ, विशेषकर शैक्षणिक शेजनाऍ है। विशेषकर शैक्षणिक योजनाऍह ै। इसमा विचार इस आलेख में प्रस्तुत किया है।

भारत देश में अनेक जनजातियॉ, समुदाय, भाषा, धर्म, रूढी, परंपरा दिखाई देती है। बल्कि यही भारत की विशेषता भी है। स्वातंत्र्यपूर्व काल में भी भारतीय समाज विभिन्नता से परिपूर्ण था और यही विभिन्नता अनेक समस्याओं का H$maU^r ahr h¡. AV: ñdV§ÌVmHo$ ~mX g§{dYmZ H$m गठन करते समय संविधानकर्ताओंने सामाजिक समता प्रस्थापित करने हेतु बडे ही विचारपूर्वक प्रावधान किया ताकि भारतीय समाज के हर घटक को, हर इकाई को, हर व्यक्ती को हर समुदाय, जाति, धर्म, जनजातियोंको समान स्तर पर ला सकें, हर नागरिक को उसका विकास करने का अधिकार प्राप्त हो सके, अर्थात सामाजिक समावेशकता प्रस्थापित हो सकें।

सबसे पहले हम समझ लें कि सामाजिक समावेशकता से तात्पर्य क्या है?

सामाजिक समावेशकता से तात्पर्य यह है की समाज के हर व्यक्ति समूह को महत्वपूर्ण और मौलिकता प्रदान करना अपितु उणके विकास हेतु प्रयास करना।

द वर्ल्ड बॅक ने सामाजिक समावेशकत को एक प्रक्रिया माना है। जिसमे हर व्यक्ती एवं व्यक्ति समूह को मुख्य स्त्रोत में ला सकें। अर्थात सामाजिक समावेशकता से पिछडे, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिसे पिछडे समूह को सक्षमता की और अग्रसर करे। इस प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों को, समूहोंको रोजगार उपलब्ध कराना, पर्याप्त मूलभूत आवश्यकताएँ, पर्याप्त एवंम उचित आवास उपलब्ध करना, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर उपलब करना आवश्यक है।

सामाजिक समावेशकता की संकल्पना स्पष्ट करते समय 'समाज बाहय' शब्द का संदर्भ भी जान लेना जरूरी है। समाज बाहय एवं सामाजिक बाहय घटक वे होते है जो समाज से बहिष्कृत किए जाते है। जिन्हे समाज मान्यता नही मिलती है। सामाजिक मान्यता न मिलने के अनेक कारण है, जिसमे तथाकथित सामाजिक रूढी, परंपराएँ, मान्यताएँ, धर्मभेद, जातिभेद, आर्थिक दुर्बलता, बेरोजगारी, वृध्दावस्था, अनाथ शारिरीक एवं मानसिक रोगी, व्यसनाधिनता, नशेबाजी, आर्थिक पराधिनता, लिंगीाद, शोषित वर्ग, अनपढ, अशिक्षा, निरक्षरता, व्यवसायिक अकुशलता, अविवाहित, बलात्कारित, परित्यकता, तलाकशुदा, बेघर, बेसहारा, तथा गुनहगार प्रवृत्तीके लोक आदि को मुख्य धारा में लाना ही सामाजिक समावेशकता है।

सामाजिक समावेशकता प्रस्थापित करणे के मार्ग —

- सांविधानिक प्रावधान
- राज्य एवं सरकार द्वारा की गई योजनाएँ
- बिगर—सरकारी संस्थाओं का योगदान
- शिक्षा का प्रचार—प्रसार
- उपक्रमों का आयोजन.

भारतीय परिप्रेक्षमे निम्नलिखित घटकों को मुख्य स्त्रोत में लाना आवश्यक है.

- एस. सी.
- एस. टी.
- एन. टी.
- आदिवासी जनजातियॉ (एस.टी.)
- अल्पसंख्यांक वर्ग (धार्मिक एवं भाषिक)
- महिलाएँ

इन घटकों को ध्यान में रखकर अनेक प्रावधान किए गए है, सांविधानिक रूप से कानुनी रूपसें उसपर अंमल भी किया जा रहा है। इस दिशामें सरकारी औंर बिगर सरकारी संस्थाएँ भी अपना योगदान कर रही है। परंतु इन योजनाओंका लाभ उनतक पहुँचना आवश्यक है। देखा गया है कि अनेक योजनाओं की जानकारी उनतक पहूँचती भी नही है, अत: उन योजना का लाभ वे ले नही पाते।

एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यांक वर्गी कों सामाजिक समावेशकता के लिए धारा १५(४) के अंतर्गत प्रावधान किया गया की इन वर्गो कें आर्थिक एवं सामाजिक प्रगती के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए.

१५(५) के अंतर्गत इन वर्गों को सरकारी एवं गैर सरकारी पाठशालाओं में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए (२००५ के सुधार के अनुसार)

धारा १६ (४) के अनुसार राज्योंने पब्लिक एवं सरकारी क्षेत्रोंमें इन वर्गो के लिए रोजगार हेतु आरक्षण देना चाहिए।

धारा १६ (४अे) एस. सी. एवं एस. टी. अनुवर्ग के लिए तरक्की के लिए भी आरक्षण देना चाहिए.

धारा ३४० — भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिसे पिछडे वर्गोके लिए राष्ट्राध्यक्ष विशेष आयोग की स्थापना कर सकते है। जिसके कारण उनको आर्थिक एवं सामाजिक स्थिती का लेखाजोखा किया जा सके.

संविधान के प्रावधान के अलावा अनेक योजनाएँ है, जिनसे सामाजिक समावेशकता स्थापित हो सके।

मंत्रालयोंद्वारा पारित की गई योजनाएँ —

- राजीव गांधी नॅशनल फेलोशिप : केंद्र सरकार द्वारा एस. सी. छात्रों के लिए यह योजना है, जो उच्च शिक्षा एम् फिल एवं पी.एचडी. के लिए दी जाती है।
- नॅशनल ओवरसिस स्कॉलरशिप
- प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, राज्य, जिला एवं ब्लॉक के तहत दी जाती है।
- बापु जगजीवन राम छात्र निवास योजना।
- पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप —एस.सी.छात्रो के लिए.
- स्वच्छताकर्मी के बच्चो के लिए मैट्रिक पूर्वी छात्रवृत्ती (स्कॉलरशिप)
- एस.सी.वर्गो के छात्र जिन्होंने विशेष रहेणी में संपादन किया हैं उन्हे 'सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप.
- स्वयंम रोजगार योजना.
- विशेष शैक्षणिक विकास कार्यक्रम — जो छात्र अध्यचन मे पिछड गए हैं उनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
- एन.एस.एफ.डी.सी.— नॅशनल शेडयुल्ड कास्ट फिनॉन्स ॲन्ड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन.
- एन.एस.के.एफ.डी.एस.— नॅशनल सफाई कर्मचारी फिनॉन्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
- एस.सी.डी.सी.— शेडयुल्ड कास्टस् डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन.

एस.टी. वर्ग के लिए योजनाएँ -

- केंद्र सरकार द्वारा विशेष सहायदा एवं अनुदान देने का प्रावधान धारा २७५ (१) द्वारा दिया गया है।
- प्रथमिक आदिवासी समूह के लिए विकास योजना ।
- आदिवासी अनुसंधन केंद्र की स्थापना।
- लडके एवं लडकियों के लिए छात्रावास गृह।
- आदिवासियों के लिए विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र।
- राज्यस्तरपर आदिवासी विकास हेतु अनुदान।
- आदिवासी सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धी।
- ग्राम धन बॅक योजना.
- आदिवासी लडकियों के शिक्षा हेतु विशेष योजनाए।

एस.सी.एवं एस.टी. वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ सरकार द्वारा की गई है। जिसमें से राजीव गांधी योजना, एच.डी.एफ.सी. योजना, तथा एल.आई.सी. स्कॉलरशीप योजना छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

अल्पसंख्यांक वर्ग के उत्थान एवं सामाजिक समावेशकता के लिए प्रावधान —

संविधान के अनुसार देश में धार्मिक एवं भाषिक अल्पसंख्यांक के आधार पर पॉच अल्पसंख्यांक वर्ग को मान्यता दी गई — मुस्लिम, ईसाई, बौध्द, सिक्ख और सिंधी.

संविधान से इन अल्पसंख्यांक वर्ग को शिक्षण संबंधी विशेष अधिकार प्राप्त है। विशेष विभाग की स्थापना भी की गई। केंद्र सरकार की ओरसे अनेक शैक्षणिक सहायदा भी प्रदान की गई, जैसे — मौलाना आजाद नॅशनल स्कॉलरशिप

पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप स्किम

मेरिट — कम— मिन्स स्किम

इसके अलावा 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया।

धार्मिक एवं भाषिक संघटन भी अपने समुदाय के विकास के लिए अनेक विकास योजना एवं सहायता प्रदान करती है, जिनके कारण सामाजिक समावेशकता में मदत होती है।

सामाजिक समावेशकता और महिलाएँ -

इतिहास साक्षी है कि स्त्री — पुरूष में भेद अनादी काल से है, आज भी है और कल ना रहे इसलिए अनेक प्रयत्न किए गए है, किए जा रहे है। भारतीय संविधान में तो महिलाओं का समान दर्जा देने के लिए अनेक कानुन एवं धाराएँ बनाई गई है। इसमे विपरित प्रत्यक्ष में महिलाओंके सामाजिक समावेशन मे अनें बाधाएँ आ रही है।

महिलाओंकी ओर दुय्यम नजरिये से देखने के कारण अनेक समस्याएँ उभरती है, विशेषकर आर्थिक, सामाजिक, शारिरीक, मानसिक समस्याओंके कारण महिलाओं की सामाजिक समावेशकता पर प्रश्नचीन्ह उपस्थ्ज्ञित होता है। अनेक सर्वेक्षण के अनुसार आजभी महिलाओंमें निरक्षरता, परावलंबिता, आर्थिक और भावनिक रूपसे दूसरोंपर निर्भरता, कौंटुबिक हिंसाचार, बलात्कार, तलाक, कुमारी माता, अविवाहीत होना आदि कारणोंसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। अत: इन समस्याओंपर समाधान के लिए अनेक योजनाएँ सरकारी ओरसे और बिगर सरकारी संस्थाओं, सारी संगठन आदि द्वारा की गई है। जैसे संविधान में धारा १५ (३) के अनुसार महिलाओं एवं बालको की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया। धारा १६ के अनुसार सभी को चाहे वह स्त्री हो या पुरूष 'समान' दर्जा देने ी बात कही है। अभी हालही में कानुन २००५ में दहेज प्रथा के विरोध में कानुन बनाया गया। धारा २३ के तहत मुलभूत अधिकार के तहत शोषण के विरोध में कानुन किया गया। धारा ३९ के तहत समान वेतन अधिकार प्रदान किया है। समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरूष, ऐसा धारा ३२ कहती है। धारा ४० के अनुसार पंचायत में १/३ आरक्षण दिया गया है। धारा ४२ के अनुसार गर्भवती महिलाओंके लिए सुरक्षा की हमी दि गई है। धारा ४४ तो किसी भी धर्म के परे जाकर आरक्षण की बात कही गई। और अभी हालही में २०१३ मे कार्यस्थल में लैंगिक अत्याचार के खिलाप कानुन पारित किया गया है। जिससे महिलाओंपर होनेवाले अत्याचार के विरोध में न्याय मिल सके उनका शारिरीक उत्पीउन न हो और यदि होता है तो उसके लिए न्याय मिले, तथा गुनहगारों को सजा हो सके इसका प्रावधान किया गया है।

महिला शिक्षण के लिए प्रावधान -

- केंद्र एवं राज्य सरकार की ओरसे अनेक योजनाएँ बनाई बई जिससे महिलाएँ शिक्षित हो सके, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, स्त्री अध्यापिका, लडकियों के लिए छात्रावास, विशेष स्कॉलरशिप आदि लडकियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखीत योजनाएँ उल्लेखनीय है।
- इंदिरा गांधी मैत्रित्व सहयोग योजना (IGMSY)

- राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ एडोल्सेंट
- गर्ल्स (RGSEAG)
- स्वाधार योजना
- स्टेप – रिपोर्ट टु ट्रेनिंग ॲण्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रॅम फॉर वुमेन (२०/१०/२००५)
- स्त्री शक्ती पुरस्कार योजना।
- शॉर्ट स्टे होम फॉर वुमेन ऍण्ड गर्ल्स (S.S.H.)
- उज्ज्वला – एक सर्वांगिण सर्वकष योजना जो महिलाओं के पुर्नवसन के लिए तथा वेश्याओं के शोषण की मुक्ती के लिए कार्यरत है।
- महिला कल्यान एवं विकास हेतु केंद्र सरकार की योजना एवं वित्त सहायता।

महिलाओं के समावेशन के लिए अनेक बिगर सरकारी संस्थाएँ एवं महिला संगठन भी अनेक उपक्रमों का आयोजन, नियोजन किया जाता है। हालही में बचत गट नामक उपक्रम बडे जोरो शोरोंसे चल रहा है, जिसके तहत बेरोजगार महिलाओंके सक्षमीकरण के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे है।, जिला, बस्ती, छोटे नगर, शहर–शहर बचत गट महिलाओ द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को व्यवसाय, स्वयंरोजगार के अवसर उपलब्ध किए जा रहे है। इसके लिए राज्य सरकारों, बॅकों, जिला, महानगर नियम आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे है। इसके कारण महिलाएँ आर्थिक रूपसे सक्षम हो रही है।

अनाथ, लावारिस बच्चों की समस्या तथा समावेशन –

भारत की जनसंख्या के विश्लेषन में पाया गया है कि ४०० करोड तो ० से १४ आयुके बच्चे है। इनमेंसे कई बच्चे परिस्थिती के मारे है, जिनके न रहने का ठिकाणा है, न ही खाने–पिने, पहनने ओढने का। शिक्षा की बात तो बहुत ही दुर की है। मानव – हक्क विभाग के पर्यवेक्षण एवं सर्वेक्षण के अनुसार लगभग १८ मिलियन बालक रास्तेपर रहते है, काम करते है और भीक मॉगे है और इन्ही अच्चो में से कुछ आगे चाचक अपराधी, देह–विक्री, गॅग, हिंसा, व्यसन आदिके चपेटमें आते हैं, अत: इनके प्रति कुछ ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुल जनसंख्या के २६ टक्के संख्या बी.पी.आर अर्थात दरिद्ररेखा के नीचे है और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और कुपोषण के बलिपाडा गए हैं। पिछले बीस वर्षो से भारत में एच.आय.व्ही. ग्रस्त बच्चों की समस्या बडी तेजी से बढ रही हैं। अत: इस दिशा में भी इन बच्चेां के पुर्नवसन, देखभाल की जिम्मेदारी समाज और सरकार की हैं।

राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एन.जी.ओ.व्दारा अनेक उपक्रम एवं योजनाएँ बनाई गई और उसपर अमल किया जा रहा है । जैसे कि

- इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम (आय.सी.पी.एस.)
- बालिका समृध्दि योजना (B.S.Y.)
- किशोर शक्ति योजना (B.S.Y.)
- न्युट्रिशन प्रोग्रॉम फॉर ॲडोलसेंट गर्ल्स (N.P.A.G.)
- बालकल्याण योजना, कामगार बाल कल्याण योजना
- सेंट्रल ॲडोप्शन रिर्सोस एजन्सी, (C.A.R.A)

- कामकाजी महिलाओं के बच्चेां के लिए 'पालना घर' की सुविधा.
- 'ऑगणवाडी' तथा आशा योजना.
- महिला एवं बालकल्याण विभाग की ओर से.
  आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
  बालकों के लिए सांविधानिक प्रावधान
- धारा १९ (A) के अनुसार १४ साल की उम्र तक शिक्षा मुलभूत अधिकार के रूम में प्रदान किया है. और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई ।
- धारा २४ के अनुसार शेाषण के विरोध में आवाज उठाने का अधिकार बालकों को दिया गया है । चौदह वर्ष ही आयुतक कारखानों एवं अन्य उद्योगों में काम करने की मनाई की गई है ।
- धारा ४५ :— के अनुसार ० से ६ वर्ष तक की आयु के बालको के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

बालकों के विकास, व्यक्ति — विकास हेतु राज्य सरकार व्दार अनेक कल्याण योजना एवं उपक्रमो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें पाठशालाओं मे सकस आहार, सुदृढ बालक प्रतियोगिताओं का आयोजन नॅशनल अॅवार्डस फॉर चाईल्ड वेल्फेअर नॅशनल चाईल्ड अॅवार्डस फॉर एक्सेपशनल अचिवमेंट्स आदि का समावेश है।

वुध्द नागरिकों का सामाजिक समावेशन -

समाज में वयोवृध्द नागरिकों का आना भी महत्वपूर्ण है। उनके स्वास्थ्य एवं आरोग्य की जिम्मेदारी परिवार के साथ—साथ समाज एवं सरकार की भी है। अत: राज्यसूची मे २०, २३ और २४ में पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित है। प्रधनमंत्री योजना के तहत अनेक सुविधाएँ एवं प्रावधान किए गए है।

वुध्दों के लिए योजनाएँ -

- नॅशनल सोशल असिस्टंस् प्रोग्रॅम (NSAP)
- नॅशनल फॅमिली बेनिफिट स्कीम (NFBS)
- टेक्निकल इनरवेन्टशन फॉर एल्डरला (TLE)
- प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स
- अन्नपूर्ण स्कीम.
- फ्री लिगल एडस् — मुफ्त सलाह सहायता
- स्वास्थ्य जीवन बीमा
- नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सनस् हेल्थ फॅसिलिटीज.

इस प्रकार वृध्दोंके सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार कार्यरत है। तथा उन्हे योग्य मान सन्मान के लिए विविध उपक्रम करने मे एन. जी. ओ. भी अग्रसर है।

दिव्यांग व्यक्तियोंका समावेशन -

२००१ की जनगणना के अनुसार २.१९ करोड लोग दिव्यांग की श्रेणी में दिखाई दिए जो २.१३.१ है। इनके अंतर्गत दृष्टी, सुनना, वांचा दोष मानसिक विकलांग एवं चालने फिरने में अक्षम आदि का समावेश है। इनके सामाजिक समावेशन के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विविध योजनाएँ की गई जैसे कि धारा २५३ के अंतर्गत इन्व्हेस्टर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए है। उन्हे अपने व्यक्ति विकास एवं राष्ट्र निर्माण में. सहभागिता के समान अवसर और अधिकार दिए गए हैं।

इस प्रकार भारतीय समाज में अनेक समस्याओंसे धिरे, अविकसित घटकों को कार्यरत करने तथा पुनरूत्थान करने में सरकार के साथ साथ विविध सामाजिक संगठनों, एन.जी.ओ.का योगदान रहा है । अवश्य ही आनेवाले दिनों मे समाज के पुर्ननिर्माण में सभी का सहयोग प्राप्त हेागा ।

H$maU^r ahr h¡. AV: ñdV§ÌVmHo$ ~mX g§{dYmZ H$m